भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPC 003/2008-BHO/ 1034

दि0 - 25-06-2012

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषयः शिवपुरी जिले में 132 के0व्ही0 शिवपुरी से मोहना डी0सी0एस0एस0 विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 9.18 हे0 आरक्षित वनभूमि म0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 003/2008–बीएचओ/1539 दिनांक 09/08/2010

2. अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध), म0प्र0 का पत्रांक एफ–4/15/8/2008/10–11/1377 दिनांक 13/5/2011 एवं समसंख्यक पत्रांक 694 दिनांक 17/2/2012

3. Officer on Special Duty Adhoc-CAMPA का पत्र कमांक 1–20/2010–केम्पा दिनांक 15/06/2012

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–4/15/08/2007/10–11/विद्युत/101 दिनांक 11/01/2008, 1351 दिनांक 18/6/2009, 2533 दिनांक 13/11/09 एवं समसंख्यक पत्रांक 2004 दिनांक 03/06/2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा, केन्द्र सरकार की ओर से 132 के0व्ही0 शिवपुरी से मोहना डी0सी0एस0एस0 विद्युत लाईन के निर्माणार्थ 9.18 हे0 आरक्षित वनभूमि म0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर कुल 9.18 हे0 गैर वनभूमि (खसरा कमांक 223, 215 भाग, ग्राम वन समिति–बरगवां, तहसील–कराहल, जिला–श्योपुर) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करने संबंधी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

3 अ) पारेषण लाईन का मार्ग संरेखण इस प्रकार किया जाये कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो।

ब) वन क्षेत्रों के ऊपर खींची लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

स) वनभूमि पर पारेषण लाईन के लिए अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई 27 मीटर होगी ।

.......2

KARTIK/APPRO/ORDER/TL

विद्युत

अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्र.)
म.प्र., भोपाल
25/6/12

द) प्रत्येक विद्युत चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिंजिंग उपकरण को ले जाने के लिए 3 मीटर चौड़े क्षेत्रों में कटाई की अनुमति दी जायेगी । इस प्रकार की पट्टियों पर वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात प्राकृतिक पुर्नजनन होने दिया जायेगा । जहां बिजली से संबंधित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/ठूंठ/छटाई की जायेगी । एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकि पारेषण लाईन का रख--रखाव किया जा सके ।

ई) अधिकृत मार्ग के भीतर शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच 4.0 मीटर की न्यूनतम दूरी रखते हुए विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की छंटाई की जायेगी । न्यूनतम सफाई का हिसाब लगाते समय चालकों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा ।

फ) पर्वतीय क्षेत्रों में पारेषण लाईन निर्माण के मामलों में, जहां पर्याप्त [illegible] उपलब्ध है, वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।

अग्निसुरक्षा हेतु विद्युतीय उपकरण जैसे केपिस्टिर्स (capacitors)/ circuit breakers इत्यादि का प्रयोग किया जायेगा ।

वृक्षों की 2 (दो) मार्किंग सूची तैयार की जायेगी –
अ) प्रत्येक चालक के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की सूची जिनकी कटाई की जानी है ।
ब) अधिकृत मार्ग (Right of Way) के शेष मात्र में आने वाले वृक्षों की सूची । इस सूची में सम्मिलित वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी । कटाई केवल चालक के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में स्थित वृक्षों की की जा सकेगी ।

ट्रान्समिशन लाईन के ROW पर बौनी प्रजाति के पौधों का (विशेषकर औषधीय पौधों का) वृक्षारोपण किया जायेगा

वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रति:

निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी वनमण्डल, जिला–शिवपुरी, मध्यप्रदेश ।
वनमण्डलाधिकारी, श्योपुर वनमण्डल, जिला–श्योपुर, मध्यप्रदेश ।
कार्यपालन अभियंता, अति0 उच्च दाब (निर्माण संधारण) संभाग, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
आदेश पत्रावली

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)